

:- आदेश :-

श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, व्याख्याता, महात्मा गांधी गर्वमेन्ट विद्यालय, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर, इनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 1591 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2054 है, को उनके निवास हेतु आवंटित राजकीय आवास संख्या III/93, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधान अनुसार प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत राजकीय आवास संख्या III/22, गांधीनगर, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटन को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन के द्वारा स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी गर्वमेन्ट विद्यालय, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
3. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटनों में से यदि किसी आवंटन को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित हैं तो उन्हें उक्त आवंटित आवास का कब्जा लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवास का कब्जा लेने से पूर्व विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित आवास रिक्त करते हुए इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे। साथ ही पूर्व आवंटित राजकीय आवास नियमानुसार अवधि में रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

